UPLK010160632022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या–5,लखनऊ ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–9500 / 2022

सोनू आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विनोद निवासी मकान नम्बर–42 / 1 / 10, आर0बी0एल0 रोड पुराना बादशाह नगर, न्यू हैदराबाद, थाना–महानगर, जनपद–लखनऊ

.....अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोगी।

अपराध संख्या–019 / 2020
धारा–147, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–महानगर, लखनऊ।

दिनांक 31.10.2022

प्रार्थी / अभियुक्त सोनू की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–439 दं0प्र0सं0, थाना–महानगर, जिला–लखनऊ के मुकदमा अपराध सं0–019 / 2020 अंतर्गत धारा–147, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा श्री शरद कुमार चौधरी, एडवोकेट ने एक प्रथम सूचना रिर्पोट थाना–महानगर, लखनऊ में दिनांक 16.01.2020 को इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 15.01.2020 की रात्रि 09:00 बजे गाड़ी नम्बर–यू0पी0 32 जे वी 8623 सफेद कार से रवि, सोनू, बब्लू, सोनू का पिता आये, जब वह घर पर था, वह लोग देखते देखते 100–150 लोगों को बुला लिया। उन सबके हाथ में अवैध असलहे थे। उक्त लोग गाली–गलौज करते हुए जाने से मारने की धमकी देते हुए जबरन घर में घुस आये। बुरी तरह उसका एवं उसकी पत्नी सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया एवं गलत नियत से कुर्ता फाड़ते हुए सोने की चेन लुट ली। प्रार्थी की पत्नी ने अपने आपको किसी तरह कमरे में बंद कर अपनी इज्जत बचायी एवं पुलिस को 100 नम्बर पर कई बार फोन किया। पुलिस की गाड़ियॉ आने पर उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त सब सी0सी0टी0वी0 में रिकार्ड है। रिर्पोट दर्ज कर कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

प्रार्थी / अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया है कि उसने मुकदमा उपरोक्त में वर्णित अपराध कारित नही किया है, उसको वादी मुकदमा ने पुलिस से मिलकर फर्जी तरीके से फॅसा दिया है, पुलिस ने सरसरी विवेचना करके बिना सत्य का पता लगाये उसके विरूद्ध आरोप–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया है। दौरान विवेचना विवेचक ने दिनांक 16.01.2020 को वादी मुकदमा व उसकी पत्नी का बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किया जिसमें दोनो लोगों ने कहीं भी यह नही बताया कि अभियुक्तगण से क्यो उनका विवाद हुआ था और न ही उनके द्वारा यह बताया कि वादी मुकदमा की पत्नी की सोने की चैन उसने लूटी है व वादी तथा वादी की पत्नी ने अपने

बयान में यह भी नही कहा है कि अभियुक्त द्वारा उन्हें कोई चोट पहुॅचाया गया है। प्रथम सूचना रिर्पोट विलम्बित है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और मामले का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हैं, उसे साजिशन फॅसाया गया है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है और न ही वह पूर्व दोषसिद्ध अपराधी हैं। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने की मॉग की गयी।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायिक मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में कारित किए जाने वाले अपराध की गंभीरता व समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, अभियुक्त के डराए–धमकाए जाने की आशंका, अभियुक्त के जमानत पर छूट जाने पर विचारण में उसकी उपलब्धता आदि कारको पर विचार करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास पत्रावली पर उपलब्ध नही है न ही अभियोजन की तरफ से प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में कोई कथन किया किया है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहअभियुक्त राजकुमार उर्फ राज की जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.01.2022 को जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–196/2022 के द्वारा स्वीकृत होने का कथन किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भी पत्रावली पर संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी दिनों से जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रस्तुत मामले में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निर्धारित बन्धपत्र एवं समान धनराशि के प्रतिभू दाखिल करने पर छोड़ दिया जायेगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सोनू का जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत मु0अ0सं0–019/2020, अंतर्गत धारा–147, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना–महानगर जनपद–लखनऊ निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्त दौरान विचारण अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र नही देगा।
2. अभियुक्त मुकदमें के विचारण के दौरान किसी प्रकार से विलम्ब कारित नही करेगा।
3. अभियुक्त किसी प्रकार से साक्षियो पर दबाव नही बनायेगा और न ही उनको किसी प्रकार से प्रभावित करेगा।
4. अभियुक्त चार्ज व बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर प्रत्येक दशा में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विचारण न्यायालय अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगी।

दिनांकः 31.10.2022

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5
लखनऊ।

Digitally signed by VIVEKANAND SHARAN TRIPATHI
Date: 2022.11.02 17:24:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court